तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अह... हुक्म ... में जारी ...
20.06.2017	सरकारी पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में भूमि के गत खसरा नम्बर 219 की भूमि डोली की होना बताया तथा उसके हाल खसरा नम्बर 407 की भूमि अप्रार्थी के नाम होना जाहिर करते हुए उक्त भूमि पुनः डोली के नाम दर्ज कराने का अनुतोष चाहा, किन्तु सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी दर्शित नही किया कि किस आदेश अथवा नामान्तरकरण के द्वारा डोली से परिवर्तित होकर भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज की गई। इससे यह प्रार्थना पत्र तकनीकी रूप से स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 खण्ड I के अध्याय 4 के नियम 17 (क से घ) की पालना की जानी आज्ञापक है। अतः यह स्थिति रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 खण्ड II के अध्याय 2 के नियम 30 का उल्लंघन है। अतः रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 2 के नियम 21 के तहत तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है, साथ ही तहसीलदार मारवाड जंक्शन को निर्देश दिये जाते है कि इस सम्बन्ध में जांच करें कि उक्त भूमि किस आदेश अथवा नामान्तरकरण के जरिये डोली से परिवर्तित होकर अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हुई है तथा किस आदेश अथवा नामान्तरकरण का रेफरेन्स किया जाना है। उक्त समस्त तथ्यों का समावेश करते हुए नये सिरे से एक माह की अवधि में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार मारवाड जंक्शन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली अति. जिला कलक्टर, पाली	